UPBN120002992026

Presented on : 18-02-2026
Registered on : 19-02-2026
Decided on : 16-04-2026
Duration : 0 years, 1 months, 26 days

IN THE COURT OF
Civil Judge Jr. Div. Bisauli, Budaun
AT BISAULI,Budaun
(Presided Over by SUSHRI SHAIFALI CHANDRAVANSHI)

Criminal Misc. Cases/26/2026

श्रीपाल शर्मा बनाम तेजपाल शर्मा आदि।

अंतर्गत धारा– 173(4) बी०एन०एस०एस०
थाना–बिसौली, जिला बदायूँ।

दिनांक 16.04.2026

1. पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है।

2. प्रार्थी श्रीपाल शर्मा पुत्र रूपराम शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० विपक्षीगण तेजपाल शर्मा आदि के विरूद्ध अभियोग दर्ज कर विवेचना कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

3. प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० में आवेदक द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रार्थी के पैत्रिक गांव जलालपुर में प्रार्थी की भूमि हैं तथा प्रार्थी आपस में 4 सगे भाई है। जिसमें सत्यपाल व तेजपाल पुत्रगण रूपराम शर्मा बहुत ही दबंग व भूमाफिया किस्म के व्यक्ति हैं। यह भी बर्तमान में सुर्य नगर शर्मा आटा चक्की के पास मुरादाबाद थाना मझौला जनपद मुरादाबाद में रहते हैं। प्रार्थी सन 1990 में मुरादाबाद आ गया था और तभी से मुरादाबाद में ही रह रहा है। प्रार्थी व प्रार्थी के भाई देवेन्द्र की भूमि को उक्त लोग जोतते बोत चले आ रहे है तथा एक एस्कार्ट टेक्टर 335 व एक इन्जन, एक कुटी मशीन चारा काटने वाली व दो भैंसे एक गाय व 150 छोटे बडे बर्तन फूल व पीतल के व एक बाग 2.5 वीघा जिसमें 15 पेड शीशम व 6 पेड जामुन व 21 पेड आम प्रार्थी को बिना वताये चुपचाप तरीके से चार सौ बीसी करके बेच दिये तथा प्रार्थी की वृद्ध मां की जमीन को भी बेच दिया और सारा पैसा हडप लिया तथा मेरा छोटा भाई देवेन्द्र सीधा साधा हैं, उसके हिस्से की जमीन को चार सौ बीसी करके व छल करके अपने नाम करा लिया। जब प्रार्थी को इस बात की जानकारी हुई तो प्रार्थी मुरादाबाद से जब आया और अपने हिस्से की भूमि मांगी व दादलायी (पिता की सम्पत्ति) टैक्टर व कुटी मशीन व भैसों व पेडों इत्यादि का अपना हिस्सा मांगा तो टाल मटोल कर दिया और प्रार्थी से रंजिश मानने लगे। घटना दिनांक 8–11–2025 समय करीब दिन के 11 बजे प्रार्थी की सगी मौसी के घर पिन्दारा रोड गदरपुरा बिसौली थाना बिसौली में पंचायत हुई उसमें सत्यपाल व तेजपाल पुत्रगण स्व० रूपराम व ग्राम जलालपुर के सुधीर शर्मा व अन्शु व गांव के अन्य लोग थे तो प्रार्थी ने उपरोक्त सत्यपाल व तेजपाल पुत्रगण स्व० रूपराम से अपने हिस्से की भूमि व पैसा मांगा तो भरी पंचायत में उक्त सत्यपाल व तेजपाल व उनके साथ आये दो अज्ञात व्यक्तियों ने प्राथी को गन्दी गन्दी गालियां देने लगें प्रार्थी ने गन्दी गन्दी गालियां देने को मना किया प्रार्थी के साथ लात घूसा से मारपीट की तो डर की बजह से प्रार्थी अपनी मौसी के कमरे में घुस गया तो कमरे के अन्दर घुस कर मेरे साथ मारपीट की तो ने बमुश्किल बचाया तो धमकी दी कि साले आयन्दा जमीन मांगी व मकान की चावी मांगी व उपरोक्त साामन के पैसे मांगे तो जान से मार देगें। प्रार्थी के शरीर में गुम चोटें आयी है। उपरोक्त आधार पर विवेचना का आदेश पारित करने की कृपा करें।

4. संबंधित थाने से आख्या आहुत की गयी। संबंधित थाने से आख्या इस आशय से प्रेषित की गयी है कि आवेदक के सगे भाई प्रतिवादी तेजपाल सत्यपाल पुत्रगण स्वरूपराम शर्मा का आपस में पैतृक मकान के बटवारे को लेकर विवाद है, जिसमे आपके न्यायालय में ही दिवानी बाद संख्या 528/2025 तेजपाल शर्मा आदि बनाम सुधीर कुमार शर्मा पुत्र रतीराम शर्मा भुवनेश शर्मा पुत्र सुधीर कुमार शर्मा अशु शर्मा पुत्र सुधीर शर्मा व श्रीपाल पुत्र रूपराम शर्मा आदि के विरूद्व विचाराधीन है। उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।" थाने से आख्या व उसके साथ संलग्न प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया।

5. प्रार्थना पत्र के समर्थन पर प्रार्थी ने स्वयं का शपथ पत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय प्रेषित प्रार्थना पत्र की डाक रसीद व आधार कार्ड आदि दाखिल किया है।

6. सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. प्रार्थना पत्र में अंतर्विष्ट कथनों तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों के अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारों के मध्य **मकान व जमीन के कब्जे को लेकर विवाद है एवं मकान व जमीन से संबंधित वाद सं०– 528/2025 दोनों पक्षों के बीच विचाराधीन है, जोकि पूर्णतः सिविल प्रकृति का है।** उक्त सिविल वाद से संबंधित दस्तावेज पत्रावली पर संलग्न है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **मेसर्स इण्डियन आयल कारपोरेशन बनाम एन.ई.पी.सी. इण्डिया लिमिटेड 2006** के मामले में मान्नीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि सिविल प्रकृति के वादों को आपराधिक प्रकृति के वादों में परिवर्तित करने की प्रवृत्ति विकसित हो रही है, इसे हतोत्साहित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार का विचार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **"परमजीत सिंह बत्रा बनाम उत्तराखण्ड राज्य (2013) 11 SSC 673**" में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "If a dispute which is essentially aviodable, comes before the criminal court, the redressal of such a dispute should be through the civil court & not through the criminal court even through the dispute is disguised as a criminal dispute."

8. उपरोक्त मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों दृष्टीगत रखते हुए यह स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के मध्य सिविल प्रकृति का विवाद है, जिसे प्रार्थी आपराधिक मामले में परिवर्तित कराना चाहता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

तदनुसार, प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० निरस्त किया जाता है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(शैफाली चन्द्रवंशी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिसौली, बदायूँ।
जे०ओ० कोड़–UP4649

Digitally signed by Shaifali Chandravanshi
Date: 2026.04.16 17:28:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court